

से सम्बन्धित प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार
माननीय न्यायालय आप को नहीं है। आपकी के
समर्थन में सिविल न्यायालय सीमलवाडा के प्रकरण
CIS No. 03/19 के आदेश की प्रति पेशकी।
जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा आ.नं. 3907 का
शकबा 8 बिश्वा भूमि में सुग्राह के उपयोग
उपभोग में व्यवधान पैदा नहीं करने का स्थगन
आदेश पारित किया है। ऐसे में उक्त प्रकरण से
सम्बन्धित भारती भूमि आबादी होने से इस
न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। अतः
प्रकरण लारिज किया जाता है। पत्रावली
फैल होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से
कम हो।


SDO

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा